न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:— श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 2013/135 दायर दिनांक 21.06.2013

वादी		प्रतिवादीगण
1. रामदेव दत्तक पुत्र स्व0 श्री मदनलाल जाति ब्राह्मण निवासी कोलिया तहसील डीडवाना।	बनाम्	1. आशाराम पुत्र रामगोपाल 2. पुसाराम दतक पुत्र रामनारायण 3. अमरचदं पुत्र 4. बेवा गगांदेवी पत्नी स्व0 रामगोपाल 5. पुष्पा पुत्री स्व0 रामगोपाल 6. विमला पुत्री स्व0 रामगोपाल 7. इन्दिरा पुत्री स्व0 रामगोपाल जातियान काकडा ब्राहम्ण निवासीगण कोलिया 8. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा व घोषणा व रेकर्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88.,53,व 188

उपस्थित :—

1. श्री महावीर चतुर्वेदी अधिवक्ता वादी

—:: निर्णय ::—

दिनांक 24.11.2017

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादी 1 से 7 सभी स्व0 पुनमचदं के उताराधिकारी वंशज है तथा स्व0 पुनमचदं के स्वामित्व व खातेदारी की राजस्व भुमि बाद फोत की नामान्तरण के वर्तमान में वादी व प्रतिवादीगण न. 1 से 7 के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज होनी चाहिये जिनके राजस्व भुमि ग्राम का नाम कोलिया पटवार हल्का कोलिया भु अभिलेख निरीक्षक डीडवाना में अवस्थित खसरा न. 54 रकबा 10 बिघा 04 बिस्वा खसरा न. 150 रकबा 7 बिघा 14 बिस्वा खसरा न. 1267 रकबा 0.13 बिस्वा खसरा न. 1426 रकबा 6 बिघा 6 बिस्वा खसरा न. 1511 रकबा 10 बिघा 6 बिस्वा खसरा न. 1519 रकबा 7 बिघा 13 बिस्वा कुल खसरा 6 रकबा 42 बिघा 16 बिस्वा बारानी संम्वत 2066 से 2069 की जमांबदी में दर्ज है। जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपी वाद पत्र के साथ संलग्न है।

मदनलाल पुत्र पुनमचंद एवं उनकी धर्मपत्नि कमला देवी पत्नि मदनलाल काकडा के जाइन्दा कोई संतान नही थी जिससे वादी को उन्होनें सामाजीक रितिरिवाज एवं परम्परा अनुसार वादी को बचपन में गोद ले लिया था तथा समाज के मौजीज एवं प्रतिषठित व्यक्तियों की मौजुदगी में मदनलालजी ने जब वादी 5 साल का था तब अपने गोद में बिठाकर पंडित से पुजा करवाकर गोद की जो रस्म अनुसार होती है। जैसे कि समाज की महिलाओं द्वारा मंगल गीत गाना तथा गुड पतासा वितरित करना उक्त सभी

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या–135/2013
दायर दिनाँक 21.06.2013, निणर्य दिनाँक 24.11.2017
रामदेव काकडा बनाम आशाराम, वगैरा।

रस्म पुरी होने के बाद वादी का शेष पालन पोषण मदनलाल व उनकी पत्नि ने ही किया है। तथा वादी ने ही अपने दतक पिता व माता की सेवा व चाकरी की है तथा वादी के माता पिता मदनलाल व कमला देवी की मुत्यु के बाद समस्त धामीक रितिरिवाज कि अनुसार कियाकम वादी ने ही किये है। जैसे कि मृत्यु के बाद गागाजी व पुष्करजी में अस्थियां विर्सजन करना तथा वहां के पडों राव भाट की बहियात में वादी को गोद लेने वाले पिता मदनलाल एवं माता कमला देवी के पुत्र के रूप में वर्षो से गोदपुत्र के रूप में दर्शाया हुआ है। तथा सम्पुर्ण कियाक्रम वादी ने ही पुत्र की बहैसियत से किये है। तथा बारहवे की पगडी की रस्म मदनलाल के गोदपुत्र होने से पुत्र की हैसियत से समाज के लोगों के समक्ष पागडी वादी को ही बांधी गई है। जिससे मदनलाल के हक अधिकार स्वामित्व कब्जा काश्त उपयोग उपभेग की उपरोक्त पैरा स. 1 में वर्णीत राजस्व भूमि में 1/3 हिस्सा का हक अधिकार एकमात्र वादी का बनता है। क्योकि हिन्दु दतक एवं उतराधिकारी अधिनियम के प्रावधान के अनुसार वादी ही एकमात्र मदनलाल की राजस्व भूमी का मालीकाना हक रखता है।

वादी के प्राकतिक माता पिता स्व0 रामगोपाल एवं माता गगां देवी ने अपनी सहमती से 33 वर्ष पुर्व वादी को अपने भाई मदनलाल व उनकी पत्नि कमला देवी को गोद दे दिया था जो कि सामाजीक रितिरिवाज पराम्परा अनुसार गोद दिया है। परन्तु वादी के प्राकृतिक माता पिता व गोद लिये माता पिता ग्रमीण क्षैत्र के निवासीगण थे जिन्होने किसी भी प्रकार का कोई गोदनामा पंजीयन रजिस्टर्ड नही करवाया है। तथा वादी के गोद लिये माता पिता दोनो की मुत्यु हो चुकी है तथा वादी के गोद लिये माता पिता की एकमात्र गोदपुत्र की हैसियत से इनके नाम की पैरा स. 1 में वर्णीत 1/3 राजस्व भूमी पर हक अधिकार बनता है। जिससे राजस्व रेकर्ड में बहैसियत खातेदार बाद फोत के नामान्तरण मदनलाल की जगह वादी का होना चाहिए परन्तु राजस्व कर्मचारीयों द्वारा परम्परा अनुसार गोद लेने से तथा गोदनामा रजिस्टर्ड नही होने से खातेदारी में नाम दर्ज नही कर रहे है तथा कानुनी व विधिक अड चने पैदा कर रहे है। जिससे वादी को वाद घोषणा खातेदारी रेकर्ड दुरूस्ती व बंटवारा स्थायी निषेधाज्ञा का पेश करना लाजीमी आया है।

प्रार्थना वादी है कि डिकी बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी इस आश्य की जारी फरमावे की वाद मे वर्णीत राजस्व भूमी का 1/3 हिस्सा वादी के पक्ष में घोषणा खातेदारी रेकर्ड दुरूस्ती बंटवारा किया जाकर वादी का नाम राजस्व रेकर्ड में मदनलाल की जगह खातेदार दर्ज किया जाने का निर्णय फरमावे। स्थायी निषेधाज्ञा इस आश्य कि जारी फरमावे कि वादी की राजस्व भुमि पर प्रतिवादीगण किसी भी अवरोध दखलंदाजी ना तो स्वंय करे ना ही अन्य किसी एजेन्ट से करवाये।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी सं0 01 ता 08 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं0 01 ता 08 बावजुद सूचना के न्यायालय में अनुपस्थित रहे है। अतः इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या–135/2013
दायर दिनाँक 21.06.2013, निर्णय दिनाँक 24.11.2017
रामदेव काकडा बनाम आशाराम, वगैरा।

विद्वान अधिवक्ता वादी की सारगर्भित बहस सुनी गई। वादी की बहस मुख्यत उनके वाद पर आधारित रही तथा वादी ने वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया। बहस के तर्कों पर मनन किया तथा रेकर्ड का अवलोकन किया। अतः दस्तावेजी साक्ष्यों व पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड के अनुसार वादी का वाद डिक्री सादिर किया जाता है।

–:: आदेश ::–

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, वाकै कोलिया के खसरा संख्या 54 रकबा 10 बीघा 04 बिस्वा, खसरा संख्या 150 रकबा 07 बीघा 14 बिस्वा, खसरा संख्या 1267 रकबा 13 बिस्वा, खसरा संख्या 1426 रकबा 06 बीघा 06 बिस्वा, खसरा संख्या 1511 रकबा 10 बीघा 06 बिस्वा, खसरा संख्या 1519 रकबा 07 बीघा 13 बिस्वा कुल खसरा 06 कुल रकबा 42 बीघा 16 बिस्वा में 1/3 हिस्सा मदनलाल के स्थान पर वादी रामदेव दत्तक पुत्र मदनलाल के घोषित कर स्वतंत्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरुस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक **24.11.2017** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)

दिनांक :- 20/3/2018
नोट :- उक्त निर्णय में वाकै सराड रुजनपुरा के खसरा नं. 389 रकबा 11 बीघा 18 बिस्वा में से 1/3 हिस्सा वादी रामदेव दत्तक पुत्र मदनलाल के नाम घोषित किया जाता है।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 2013/135 दायर दिनांक 21.06.2013

वादी		प्रतिवादीगण
1. रामदेव दतक पुत्र स्व0 श्री मदनलाल जाति ब्राह्मण निवासी कोलिया तहसील डीडवाना।	बनाम्	1. आशाराम पुत्र रामगोपाल 2. पुसाराम दतक पुत्र रामनारायण 3. अमरचंद पुत्र 4. बेवा गंगादेवी पत्नी स्व0 रामगोपाल 5. पुष्पा पुत्री स्व0 रामगोपाल 6. विमला पुत्री स्व0 रामगोपाल 7. इन्दिरा पुत्री स्व0 रामगोपाल जातियान काकडा ब्राहम्ण निवासीगण कोलिया 8. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रेकर्ड दुरूस्ती, बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 53, 88, 188 R.T.Act.

दिनांक 24.11.2017

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री महावीर चतुर्वेदी अधिवक्ता वादी की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्ब दावा डिक्री सादिर कर, वाकै सरहद कोलिया के खसरा संख्या 54 रकबा 10 बीघा 04 बिस्वा, खसरा संख्या 150 रकबा 07 बीघा 14 बिस्वा, खसरा संख्या 1267 रकबा 13 बिस्वा, खसरा संख्या 1426 रकबा 06 बीघा 06 बिस्वा, खसरा संख्या 1511 रकबा 10 बीघा 06 बिस्वा, खसरा संख्या 1519 रकबा 07 बीघा 13 बिस्वा कुल खसरा 06 कुल रकबा 42 बीघा 16 बिस्वा में 1/3 हिस्सा मदनलाल के स्थान पर वादी रामदेव दत्तक पुत्र मदनलाल के घोषित कर स्वतंत्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत....................–...................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें।बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज की तारीख 24.11.2017 को सारे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

मुददई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	–		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	–		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

दिनांक :- 20/3/18
नोट :- उक्त डिक्री में वाकै सरहद रघुनाथपुरा के खसरा नं 389 रकबा 11 बीघा 18 बिस्वा में से 1/3 हिस्सा वादी रामदेव दत्तक पुत्र मदनलाल के घोषित किया जाता है।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner